कार्यालय नगर परिषद् अरवल

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् अरवल

सेवा में

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार पटना
(स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा)

विषय : अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1138/2014-15 एवं 262/2016-17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित समर्पित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांग सं०. एल० ए०/एस०एस०-1/श० स्था०नि०/14498/2290 दिनांक 31-03-15 एवं एल० ए०/एस०एस०-1/श० स्था०नि०/14589 /204

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के सम्बन्ध में सादर कहना है की अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1138/2014-15 एवं 262/2016-17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलगन कर समर्पित की जा रही है।

अतः सादर अनुरोध है की समर्पित की जा रही है अनुपालन प्रतिवेदन के कंडिकाओ को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विशवाशभाजन

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् अरवल

ज्ञापांक 1293 दिनाक 21/02/19

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव,नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार ,पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् अरवल
19/12/2018

कार्यालय नगर परिषद अरवल

वितीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013 - 2014

क्रमांक संख्या	आपति का विवरणी	आपति का निराकरण
भाग I खण्ड		
कंडिका (12)	बजट	आपति के आलोक मे बजट तैयार कर ली गई है जो संलग्न किया जा रहा है।
कंडिका (13, 14)	वितीय विवरण और बाईलेंश शिट नहीं किया गया एवं आय-व्यय (रोड़बही)	अलग-अलग बैंक खाता संधारित की गई है। कार्यालय कर्मी निर्देशित किया गया है कि विभिन्न मद की राशि का संधारण किया गया है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
भाग I खण्ड (क) शून्य		
भाग II (ख)		
कंडिका (1)	गलत आपूर्ति आदेश देने से कुड़ादानी (डस्टबीन) की क्रूय में अधिक भुगतान (13वें वित आयोग)	पत्रांक 1138 दिनांक 31.03.2015 को आपूर्ति आदेश दिया गया । सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड के प्रस्ताव के उपरांत डस्टबीन क्रय में कोटेशन के अनुसार वैट अलग से भुगतान करना था । फलस्वरूप 05 प्रतिशत राशि अनुमोदन दर पर चौबीस हजार प्रति डस्टबीन पर अलग से जोड़कर भुगतान की गई है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
कंडिका (2,3)	(राज्य योजना) राशि का अवरोधन 712.58149 लाख	प्रति राशि का व्यय की जा रही है जिसमें नगर परिषद् के प्रशासनिक भवन का कार्य चल रहा है। अशोक सम्राट भवन का कार्य चल रहा है। जिसका उपयोगिता नगर विकास एवं आवास विभाग को समर्पित की गई तथा शेष राशि की उपयोगिता कार्य समाप्ति के उपरांत भेजी जा जायेगी । जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
कंडिका (4)	प्रत्यक्ष विनियोजन रू0 2,95,798/	कार्यालय कर्मी के कमी रहने के कारण राशि वसूल कर सीधे दैनिक कार्य पर व्यय की दी गई थी । जिसकी प्रविष्टि रोकड़ पंजी में की गई है ।भविष्य में राशि संग्रह कर सीधे व्यय नहीं की जायेगी । प्राप्त राशि बैंक खाता में जमा की जायेगी । जहातक नगद राशि 80,307/ का प्रश्न है तो स्पष्ट करना है कि इस राशि दैनिक कार्यो पर आवश्यकतानुसार व्यय होते रही परन्तु अभिश्रव ससमय से पारित नही होने के कारण रोकड़ पंजी में प्रविष्ट नहीं की गई थी ।फलस्वरूप 80,307/नगद दिखाया जा रहा है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,अरवल

		इस राशि को विपत्र पारित हो गया है। जो रोकड़ पंजी में दर्ज किया गया है।
कंडिका (5)	SJSRY से राशि का विचलन 6.91 लाख	जाँचोपरांत आवश्यक कारवाई कर सूचित कर दिया जायेगा ।
कंडिका (6)	आयकर कर कटौती नहीं	संबंधित एन0जी0ओ0 से आयकर की राशि वसूली कर ली गई है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
कंडिका (7)	अधिक भुगतान	सशक्त स्थायी समिति एवं बोर्ड के प्रस्ताव के आलोक में राशि को भुगतान किया गया । कार्य के उपरांत ही भुगतान किया गया है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
कंडिका 8 (i)	एकल निविदा (चतुर्थ राज्य वित)	एकल निविदा का अनुमोदन सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया गया है।
कंडिका 8 (ii)	बी0आर0जी0एफ0 एकल निविदा	एकल निविदा का अनुमोदन सशक्त स्थायी समिति द्वारा किया गया है।
कंडिका (9)	सैरात के बन्दोबस्ती में कम जमा/जमा नहीं	वितीय वर्ष 2012-2013 में बस स्टैण्ड अरवल की बन्दोबस्ती में अकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आपति के आलोक में स्पष्ट करना है (1) बस स्टैण्ड अरवल की सुरक्षित जमा राशि 6,50,550/ मात्र थी । तदनुसार 03 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क सहित कुल 6,82,800/ बन्दोबस्तीधारी से वसूल कर बैंक खाता संख्या 3473101000833 दिनांक 31.03.2012 को जमा की गई है। जिसका बैंक पासबुक का छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है। (2) वितीय वर्ष 2013-14 मुक्तिधाम जनकपुर हाट की बन्दोबस्ती में अंकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आपति के आलोक में स्पष्ट करना है कि मुक्तिधाम अरवल की बन्दोबस्ती 52,000/ मात्र में की गई थी तथा बन्दोबस्ती के निबंधन शूल्क 03 प्रतिशत जोड़कर 53,560/ वसूल की गई थी । प्राप्त रसीद संख्या 216 की छायाप्रति संलग्न एवं वसूल की गई राशि 45,000/ दिनांक 23.03.2013 को बैंक खाता में जमा कर दी गई है। जिसका पासबुक का छायाप्रति संलग्न एवं शेष राशि 8560/ दिनांक 30.03.2013 को जमा कर दी गई है। जिसका पासबुक संलग्न किया जा रहा है। (3) वितीय वर्ष 2013-14 मालवाहक की बन्दोबस्ती में अंकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आपति के

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,अरवल

		आलोक में बन्दोबस्ती का कुल राशि 3,58,000/रू मात्र थी । निबंधन शूल्क जोड़कर 03 प्रतिशत कुल राशि 3,68,765 / मात्र वसूल की गई है। जो रसीद संख्या 217 से 3,49,100/जमा कर छायाप्रति संलग्न की जी रही एवं शेष राशि 19,665/ मात्र क्रमांक 2 में वर्णित 30,697/ में ही सन्निहत है जो साथ बैंक खाता में जमा की गयी थी । (4) वितीय वर्ष 2013-14 रिक्शा ठेला, बेलगाड़ी, टायरगाड़ी निबंधन बन्दोबस्ती में अंकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आपति के आलोक में स्पष्ट करना है कि बन्दोबस्ती 03 प्रतिशत स्टाम्प शूल्क के साथ जोड़कर 13,905/ बन्दोबस्तीधारी से उक्त राशि वसूल की गई थी । प्राप्ति रसीद संख्या 218 की छायाप्रति संलग्न है। वसूल की गई राशि 10,000/ दिनांक 2303. 2013 को बैंक खाता में जमा कर दी गई है। जो डिपोजिट फॉर्म का पासबुक संलग्न है। शेष राशि 3905/ मात्र अंकित क्रमांक 02 में वर्णित राशि 30,905 में सन्निहत कर बैंक खाता में जामा कर दी गई है। (5) वितीय वर्ष 2013-14 बस स्टैण्ड अरवल की बन्दोबस्ती में अंकेक्षण दल द्वारा लगाया गया आपति के आलोक में स्टाम्प शुल्क के राशि 03 प्रतिशत जोड़कर बन्दोबस्ती की राशि कुल 8,04,956/ मात्र बन्दोबस्तीधारी से वसूल की गई है जो रसीद संख्या 219 में की छायाप्रति संलग्न है। वसूल की गई राशि 5.00 लाख दिनांक 21.03.2013 खाता में जमा कर दी गयी है। शेष राशि 3,04,956/ मात्र दिनांक 20.3.2013 बैंक खाता में जमा कर दी गई है उक्त राशि दिनांक 20.03. 2013 को जमा राशि 3,14,409/ में सन्निहित है। जिसका छायाप्रति संलग्न की जा रही है।
कंडिका (10)	मोबाईल टावर बकाया रू 2044800	कार्यालय कर्मी कमी के कारण ससमय कार्य नही हुआ है। अत: मोबाईल टॉवर को नोटिस कर राशि वसूल की जा रही है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
कंडिका (11)	कार्यालय का विधुत आपूर्ति का कनेक्शन नहीं - परिहार्य व्यय 1.86 लाख	कार्यालय का विधुत आपूर्ति का कनेक्शन ले ली गई है । जिसका छायाप्रति संलग्न किया जा रहा है।
भाग III		

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् अरवल

टिप्पणी (2)	सूद की राशि 7.08 लाख एक ही रोकड़ पंजी में संधारण	विभिन्न मदों की राशि भूलवश एक ही रोकड़ पंजी में दर्ज की गई थी । जो अब जिस मद के राशि थी उस मद में बुक ट्रानस्फर कर रोकड़पंजी में दर्ज की गई अन्यथा सूद के राशि से अन्य मदों में खर्च नहीं किया गया है। जिस मद का राशि प्राप्त था उसी मद में खर्च की गयी है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
टिप्पणी (3)	रोकड़पाल-रोकड़ बही का अनियमित संधारण	इस आपति के आलोक में के ध्यान मे रखते हुए इसे सुधार ली गयी है तथा रोकड़पंजी का संधारण ससमय से किया जा रहा है। इसका छायाप्रति भेजा जा रहा है।
टिप्पणी (4)	होल्डिंग कर मूल्यांकन एवं वसूली की स्थिति	आपति के आलोक में कहना है कि होल्डिंग वसूली का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को करने हेतु दैनिक वेतनभोगी पर रखे गये पाँच अमीन के द्वारा नापी कर वसूल की जा रही है। जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।
टिप्पणी (5)	सैरात की बन्दोबस्ती नहीं होना	वितीय वर्ष 2013-2014 सैरात की बन्दोबस्ती नहीं की गयी तथा इस राशि को वसूली करने हेतु विभागी कारवाई की गयी थी । जिसका साक्ष्य संलग्न की जा रही है।

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद अरवल

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,अरवल